फर्द अहकाम

श्रीमती गुलाब बनाम ग्राम पंचायत [illegible]

नाम न्यायालय

कैस संख्या 6/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/9/14	पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरदाता उप. रेस्पोन्डेन्ट [illegible] के नाजिर [illegible] पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 1/10/14 को पेश हो उप–खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	1/10/14	पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरदाता उप. बहस अपील सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 15/10/14 को पेश हो उप–खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	15/10/14	पत्रावली वास्ते आदेश अपील पेश हुई [illegible] की अपील अपीलान स्वीकार [illegible] जाती है [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] के बाद नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांभर).

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:21:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
अपील प्रार्थना पत्र : 06 / 2017
निर्णय दिनांक : 15.10.2024

1. श्रीमती गुलाब देवी पत्नी स्व. श्री राधेश्याम, उम्र लगभग वर्ष,
2. सूरज सैनी पुत्र स्व. श्री राधेश्याम, उम्र लगभग 21 वर्ष,
समस्त जाति फूल माली, निवासीयान– नाडी का फाटक, ग्राम जैसा बोहरा की नांगल, तहसील जयपुर, जिला जयपुर (राज.)।

...अपीलार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत भापुरा, पंचायत समिति सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर जरिये सरपंच
2. श्रीमती लीला उर्फ लाली देवी पत्नी श्री प्रभाती लाल, उम्र लगभग.....वर्ष, जाति माली, निवासी–तेजाजी का बाड़ा, सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज.)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)।

प्रत्यर्थीगण / रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 20.11.2002

निर्णय

अपीलार्थीगण की ओर से पेश अपील का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम–चतरपुरा, पटवार हल्का कलवाड़ा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 0.53 हैक्टेयर स्थित है। जिसमे अपीलार्थीगण के पति / पिता का खरीदशुदा 1 / 2 हिस्सा है। उक्त भूमि में 1 / 2 हिस्सा रमेश पुत्र नारायण, जाति माली, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का था जिसने उक्त भूमि व अन्य भूमि में अपना स्थित सम्पूर्ण 1 / 2 हिस्से अपीलार्थीगण के पति / पिता श्री राधेश्याम पुत्र श्री प्रभुनारायण को मूल्यवान प्रतिफल की ऐवज में दिनांक 06.02.1989 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया तथा मौके पर कब्जा राधेश्याम को प्रदान कर दिया, जो विक्रय पत्र उप–पंजीयक कार्यालय सांगानेर के यहॉ दिनांक 06.02.1989 को पुस्तक सं. 1, जिल्द संख्या 114 क्रम संख्या 59 पृष्ठ संख्या 277 से 278 पर पंजीबद्ध हुआ एवं अतिरिक्त पुस्तक [illegible] जिल्द संख्या 85 के पृष्ठ संख्या 298 से 301 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त रमेश ने अपीलार्थीगण के पति / पिता को परिचित व रिश्तेदार होने के कारण उक्त विक्रय [illegible] नामान्तकरण स्वयं द्वारा राधेश्याम के पक्ष में खुलवाने का आश्वासन दिया। [illegible] अपीलार्थीगण के पति / पिता श्री राधेश्याम उक्त भूमि खसरा नम्बर 41 व अन्य भूमि खसरा नम्बर 62 स्थित ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में 1 / 2 हिस्से का मालिक, स्वामी व कब्जेधारी हुआ तथा उक्त विक्रय पत्र निष्पादन की दिनांक 06.02.1989 के पश्चात से विक्रेता रमेश का उक्त बेचान की गई भूमियों से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा। अपीलार्थीगण के पति / पिता को उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमियों से महरूम

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:21:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...के उदेश्य से अपीलार्थी को बिना सुचना व बिना नोटीस जारी किये ही व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही तथा नैसगिक न्याय के सिद्धान्तो का हनन करते हुये बाला ...ा रुप से रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 32 दिनांकित 20.11.2002 को अवैध व शून्य पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या–2 के नाम तस्दीक कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 12.04.2017 को उक्त आराजीयात की राजस्व रिकॉड की जमांबदीया व नामान्तरण की नकल लेने के पश्चात हुई। जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलोच्य नामान्तरण के विरुद्ध जानकारी से समयावधि मे निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत की जा रही है:-

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ग्राम पंचायत महोदय द्वारा अवैध व शून्य विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या–2 के हक में तस्दीक किया गया उक्त नामान्तरण आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण एवं अवैध व शुन्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किये जाते समय माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रचलित विधि व न्याय शास्त्रो के सिद्धान्तो को प्रर्याप्त परिसिलन नही किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण मनमाना व विधि विरुद्ध है तथा प्रारम्भ से ही शुन्य है व निरस्तनीय है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 द्वारा ना तो अपीलार्थीगण के पति/पिता को नोटिस जारी नही किया गया तथा ना ही कब्जे के बारे में जानकारी ली गई तथा ना ही मौके पर वास्तविकता के सम्बन्ध में कोई जांच की गई। अगर माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही की जाती तो उक्त अपीलाधिन नामान्तरण तस्दीक करना संभव नही था। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण मनमाना व विधि विरुद्ध एवं शुरु से ही शुन्य होने से श्रीमान द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण के पति / पिता उक्त भुमि खसरा नम्बर 41 में रमेश के हिस्से 1/2 के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1989 के आधार पर मालिक, स्वामी एवं कब्जेधारी है। अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टीगत रखते हुये अपीलार्थीगण के पति / पिता/वारिसान को सुनवाई हेतु नोटिस दिया जाना कानुनन आवश्यक था जिसकी पालना अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नही की गई। इसलिये नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर ही उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरण के तहत जिस भूमि खसरा नम्बर 41 के 1/2 हिस्से का नामान्तकरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में खोला गया है वह 1/2 भाग की भूमि दिनांक 06.02.1989 के पश्चात से रेस्पोंडेन्ट के पति / पिता श्री राधेश्याम के स्वामित्व व अधिपत्य की थी तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या–2 को विक्रय करने वाले व्यक्ति रमेश को उक्त भूमि बेचान का कोई अधिकार नही था तथा [illegible] शुरुं से ही शून्य व अवैध था तथा अपीलार्थीगण के अधिकारों के विरु[illegible] था। इस प्रकार आलोच्य नामान्तरण आदेश अवैध व शून्य व अ[illegible] दस्तावेज के आधार पर होने से अकृत व शुन्य है तथा मा[illegible] किये जाने योग्य है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 41 के 1/2 हिस्से के मालिक, स्वामी रमेश पुत्र नारायण से उसके हिस्से 1/2 सम्पूर्ण को दिनांक 06.02.1989 [illegible] अपीलार्थीगण के पति/पिता श्री राधेश्याम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। उसके पश्चात से उक्त विक्रेता रमेश पुत्र नारायण को उक्त भूमि की आगे किसी प्रकार से विक्रय करने का अधिकार नही था तथा इसी प्रकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 को

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:21:52 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में से रमेश के हिस्से को श्री राधेश्याम द्वारा क्रय कर लेने के तथ्यों का भी ... उसके बावजूद रेस्पॉन्डेन्ट संख्या–2 ने रमेश से उक्त भूमि क्रय कर ली जो ... पत्र रमेश के हिस्से तक शुरू से ही अवैध व शून्य था, क्योंकि रमेश को उक्त ... का कोई अधिकार नही था। इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र रमेश के हिस्से की ... के सम्बन्ध में शुरू से ही अपीलार्थीगण के पति / पिता के अधिकारों के विरूद्ध ... शून्य था जिसके आधार पर नामान्तरण नही खोला जा सकता था। इसलिये ... आलोच्य नामान्तरण मात्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का यह ... स्थापित सिद्धान्त है कि क्रेता को विक्रेता से बेहत्तर स्वामित्व प्राप्त नही हो सकता है। ... विवादित भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता रमेश को उक्त भूमि खसरा नम्बर 41 के सम्बन्ध में ... कोई स्वामित्व नही था इसलिये उक्त रमेश से क्रय की गई उक्त भूमि पर रेस्पॉन्डेन्ट संख्या–2 को भी कोई स्वामित्व प्राप्त नही हो सकता है। इसलिए उक्त भूमि में अपीलार्थीगण के पति / पिता श्री राधेश्याम के 1/2 हिस्से के सम्बन्ध में कोई नामान्तकरण रेस्पॉन्डेन्ट सं. 2 के पक्ष में नही खोला जा सकता था। उसके बावजूद आलौच्य नामान्तकरण के तहत राधेश्याम के हिस्से व स्वामित्व की 1/2 भूमि का नामान्तरण रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में खोलकर अधीनस्थ न्यायालय ने गम्भीर कानूनी त्रुटि कारित की है इसलिए आलौच्य नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पूर्व में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पश्चातवर्ती रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर प्रभावी होता है तथा पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होता है, इसलिए पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर उक्त खसरा नम्बर 41 में 1/2 हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में खोला गया नामान्तकरण आदेश अवैध एवं विधि विरूद्ध है तथा विधि की दृष्टि में शून्य है। इसलिए मात्र इसी आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 20.11.2002 का है जिसकी जानकारी मिन अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम उक्त आराजीयात की राजस्व रिर्कोड की जमांबदीया व नामान्तरण की नकल दिनांक 12. 04.2017 को प्राप्त करने पर हुई। इससे पूर्व अपीलार्थीगण को आलोच्य नामान्तरण की जानकारी नही थी ऐसी स्थिति में उक्त अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी की छुट हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 32 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जाने की महती कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह सिनसिवार ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] 26.11.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपी[illegible] की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 उपस्थित।

बहस उपस्थित अधिवक्ता [illegible] अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये [illegible] कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 32 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा [illegible]।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अपील अपीलन्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 20.11.2002 ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का कलवाडा, तहसील सॉगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय की प्रति प्रेषित

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:21:52 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:21:52 IST
Reason: SelfAttested